

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6198/2022

1. केदार लाल पुत्र श्री बतूलाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।
2. ओंकार लाल पुत्र श्री बतूलाल, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।
3. बद्री प्रसाद पुत्र श्री बतूलाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।
4. महेश चंद पुत्र श्री बतूलाल, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।
5. विष्णु पुत्र श्री बतूलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अध्यक्ष/प्रधानाचार्य, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।
2. सचिव, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निसुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राम प्रसाद शर्मा

प्रतिवादीगण की ओर से :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन**आदेश****01/03/2024****अवनीश झिंगन, न्यायमूर्ति (मौखिक):-**

1. यह याचिका दिनांक 03.12.2021 और 29.03.2022 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिनमें क्रमशः आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत दायर आवेदन और अपील को खारिज कर दिया गया था।
2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था जिसमें यह दलील दी गई थी कि विचाराधीन संपत्ति पैतृक संपत्ति है। याचिकाकर्ता-वादी की ओर से और पट्टा (लीज डीड) दिनांक 07.01.2000 वादी के पिता के नाम पर जारी किया गया था। 02.10.2021 को, प्रतिवादियों के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण किया था, जिससे व्यथित होकर एक मुकदमा दायर किया गया था। आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि भूमि आबादी है या कृषि भूमि। प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करते हुए, यह पाया गया कि विचाराधीन भूमि स्कूल की थी। याचिकाकर्ता अपील में विफल रहा, इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन भूमि के कब्जे में है, और कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज करने में गलती की।
4. याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए लीज डीड/पट्टा के अवलोकन से, यह सामने आता है कि उसमें भूमि का कोई विवरण उल्लिखित नहीं है। मौके पर निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता का कब्जा उनकी अपनी भूमि पर नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कोर्ट प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचाराधीन भूमि स्कूल की है।

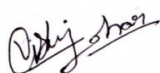
5. चुनौती दिए गए आदेशों में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है, और न ही कोई दुर्भावना है। रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों को इस कोर्ट द्वारा मामले के गुणों पर राय नहीं माना जाएगा। ये टिप्पणियां केवल इस याचिका का निर्णय करने के उद्देश्य से हैं।

(अवनीश झिंगन),J

सिंपल कुमावत / 02

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़